डॉ. प्रेमचंद बैरवा को धमकी देने वाले सहित छह लोग गिरफ्तार

तीन लाख रु.का कर्ज और दूसरी जेल में शिफ्ट होने के लिए दी थी धमकी

जयपुर। लाल कोठी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा को मारने की धमकी देने वाले सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्त गांधीनगर जयपुर पूर्व नारायण बाजिया के नेतृत्व में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम ने देर रात तक जयपुर जेल में सर्च अभियान चलाया था।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) तेजस्विनी गौतम ने बताया कि लाल कोठी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा को मारने की धमकी देने वाला शाहनील निवासी शास्त्री नगर जयपुर, वसीम खान निवासी झोटवाड़ा जयपुर,मनीष परिहार निवासी जोधपुर, विकमसिह बडोद जिला सवाई माधोपुर को सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है और वहीं सिम धारक जुनैद निवासी झोटवाड़ा जयपुर सहित जेल में सिम पहुंचाने वाले अशरफ निवासी झोटवाड़ा जयपुर को भी पकड़ा है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) ने बताया कि पुलिस थाना लाल कोठी जयपुर के इलाके में केंद्रीय कारागार जयपुर से गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर के 100 नंबर पर कॉल आया कि उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा को मरवा देंगे और वह अनिल बोल रहा है।। इस पर वारदात को गंभीरता से लेते हुए एक पुलिस टीम गठित की गयी। टीम ने जिस नंबर से पीसीआर में काल आया उसका सीडीआर विश्लेषण कर सीएसटी व जयपुर के अलग अलग क्षेत्रों में 15 जगह दबिश दी गई। जिसमें आरोपित जनैद व अशरफ को भी दस्तयाब किया गया। जिस मोबाइली से फोन किया गया था वह सिम भी जुनैद के नाम से ही थी। जुनैद ने उक्त सिम आरोपी शाहनील तक किस माध्यम से पहुंचाई। जिसके संबंध में जांच पड़ताल जारी है।

लाल कोठी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा को मारने की धमकी देने वाले सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी में सामने आया कि आरोपित शाहनील ने जेल में ही किराये पर फोन देने का व्यवसाय चला रखा है। वार्ड नम्बर 9 में वह बंदियों से प्रत्येक मिनट के 100 रुपये वसूलता है। शाहनील और किन किन बंदियों को मोबाइल बात करने के लिए देता था उस संबंध में पूछताछ जारी है। जिन्होनें उक्त बरामद मोबाईल का उपयोग किया उन कैदियों में से एक बंदी विक्रम सिंह है। जो शाहनील से उक्त मोबाइल लेकर कंट्रोल रूम 100 नंबर पर काल करके उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा को मारने की धमकी दी। विकम सिंह के उक्त जेल में तीन लाख रुपये का कर्जा होने के कारण वह दूसरी जेल में शिफ्ट होना चाहता था। इसलिए उसने धमकी देना पूछताछ से सामने आया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस मामले में जेल प्रशासन व अन्य जिन जिन लोगों की संलिप्तता है, उस संबंध में अनुसंधान जारी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता नामित नहीं करने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन साल से वरिष्ठ अधिवक्ता नामित नहीं करने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब तलब किया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 24 जनवरी, 2022 के बाद अब तक वरिष्ठ अधिवक्ता नामित नहीं किए हैं। जबकि हाईकोर्ट के खुद के दिशा-निर्देशों के अनुसार हर दो साल में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित किया जाना चाहिए। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी नियम बनाकर वरिष्ठ अधिवक्ता नामित करने की गाइड लाइन जारी कर रखी है। इसके बावजूद हाईकोर्ट प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के आधार पर स्वयं के नियम नहीं बनाए हैं। जिसके चलते हाईकोर्ट के कई वरिष्ठ अधिवक्ता अब तक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नामित नहीं हो पाए हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है।

वकील 1052 दिन से दे रहे धरना- जनवरी, 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित करने में धांधली का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता सहित अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता टीएन शर्मा के साथ ही अन्य वकील बीते 1052 दिनों से हाईकोर्ट में धरना दे रहे हैं।

नए वाहनों से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मिलेगी मजबूती : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत जवाहर सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में 150 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस कार्मिक मौजूद रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को राजस्थान दिवस कार्यक्रम श्रृंखला के तहत जवाहर सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम 'सुरक्षा एवं सुगमता का संकल्प समारोह' से 150 नए पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इसके लिए पुलिस बल को तमाम आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस बल में शामिल हुए इन नए वाहनों से राज्य में आमजन के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों से मिलकर उनका हौसला अफजाई किया। उन्होंने प्रत्येक पुलिसकर्मी से व्यक्तिशः मुलाकात कर कुशलक्षेम पूछी। इस दौरान शर्मा ने पुलिस बेण्ड सहित सभी पुलिस बल के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। पुलिस कार्मिकों का मुख्यमंत्री द्वारा हौसला अफजाई करने पर मनोबल बढ़ा तथा वे बेहद उत्साहित नजर आए।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, महानिदेशक साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी, महानिदेशक इन्टेलिजेंस संजय अग्रवाल, महानिदेशक टी.एन.टी. अनिल पालीवाल सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं पुलिस कार्मिक मौजूद रहे।

विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से राजभवन में मुलाकात की। देवनानी ने राज्यपाल बागडे को युगंधरा अहिल्याबाई होल्कर पुस्तक भेंट की। विधानसभाध्यक्ष ने राज्यपाल बागडे से शिक्षा और विधायी के विभिन्न विषयों पर संवाद कर उनसे शिष्टाचार मुलाकात भेंट की।

सांसद जोशी ने होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया

जयपुर। चित्तौडगढ़ सांसद, चेयरपर्सन याचिका समिति एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी द्वारा होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का अशोक मार्ग नई दिल्ली में हुआ। जिसमे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, सीआर पाटिल, अर्जुनराम मेघवाल, गजेन्द्र सिंह, रामदास अठावले, राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, अरूण सिंह, राधामोहन दास अग्रवाल, सतीश पूनियां, सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी, राव राजेन्द्र सिंह, दामोदर अग्रवाल, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, पप्पू यादव, सांसद, विधायक और भाजपा पदाधिकारियों ने शिरकत की।

प्रदेश की सभी जेलों में चलाएं सघन तलाशी अभियान : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी जेलों को मजबूत एवं आधुनिक बनाने के लिए जेल विभाग को आवश्यकता अनुरूप सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जेल विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए किजेल परिसर में अपराधियों द्वारामोबाइल फोन इस्तेमाल की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करते हुए प्रदेश की सभी जेलों में पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित एवं औचक तलाशी अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि जेलों में अवांछित सामग्री मिलने पर संबंधित जेल प्रशासन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।उन्होंने ऐसे प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कर जेल में अवैध सामग्री पहुंचाने वाले नेटवर्क में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

> ■ 'जेल परिसर में अवांछित सामग्री मिलने पर संबंधित जेल प्रशासन के विरुद्ध करें सख्त कार्यवाही'

शर्मा ने प्रदेश की जेलों में आवश्यकता अनुरूप सीसीटीवी कैमरों की संख्या में वृद्धि करते हुए जेल परिसर में निगरानी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने जेल परिसर में तैनात कार्मिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैजेट्स को भी परिसर से बाहर रखवाए जाने की व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन कार्मिकों को कार्यव्यवस्था के अनुसार समय-समय पर बदला भी जाए। उन्होंने चालानी गार्डों को भी समय-समय पर बदलने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की जिन जेलों का स्थान परिवर्तन किया जाना है, उनके लिए शीघ्र कार्ययोजना बनाई जाए। उन्होंने जेल परिसर में आधुनिक प्रणाली के मोबाइल जैमर लगाने सहित जेल प्रशासन में लम्बित चल रही अन्य विभागीय कार्यवाहियों को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने जेल परिसर में नवीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए, ताकि न्यायालय में अपराधी की पेशी वीसी के माध्यम से कराई जा सके।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता, महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेन्स संजय कुमार अग्रवाल, महानिदेशक जेल गोविन्द गुप्ता, पुलिस आयुक्त जयपुर बीजू जॉर्ज जोसफ एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा दिनेश एमएन सहित विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

जाली बिलों से कर चोरी के आरोप में राजेश अग्रवाल गिरफ्तार

डमी फर्मों के माध्यम से पुरानी कारों की खरीद-बिक्री का छद्म कार बाजार बनाकर था

जयपुर। डमी फर्म्स खोलकर मिथ्या आगत कर का लाभ लिये जाने एवं फेक इनवॉइस के माध्यम से मिथ्या आगत कर पास ऑन भी किये जाने के आरोप में वृत-सी, प्रवर्तन शाखा-तृतीय द्वारा मिश्रा मार्ग निर्माण नगर स्थित मेसर्स ऑटो जंक्शन के प्रोपराइटर राजेश अग्रवाल पुत्र केसर देव अग्रवाल निवासी किरण पथ मानसरोवर को गिरफ्तार किया है।

मुख्य आयुक्त राज्य कर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी राजेश अग्रवाल ने स्वयं के नाम पर पंजीकृत फर्म मेसर्स ऑटो जंक्शन : 0806392 के अतिरिक्त परिवारजनों के नाम पर संचालित फर्मों में एक लिमिटेड कंपनी के एप पर ओएलएक्स, कार देखो इत्यादि वेबसाइट पर बिक्री के लिए डाली गयी कारों, आरटीओ एजेंट्स के माध्यम से बिकी हुई कारों अथवा रास्ते में चलती हुई कारों की डिटेल विभिन्न बिजनेस लॉगिन आई.डी बनाकर अपलोड कर दी जाती थी। जिसके एवज में कमीशन प्राप्त किया जाकर मिथ्या आगत कर का लाभ पहुंचाया एवं कमीशन प्राप्त किया जाकर करापवंचन किया।

इसके अतिरिक्त आरोपी द्वारा उसकी फर्म में कार्यरत जरूरतमंद व्यक्तियों व कार्मिकों को लोन इत्यादि दिलवाने का लालच दिया जाकर उनके आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का उपयोग कर वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत डमी फर्म्स बना कर इसी प्रकार मिथ्या आगत कर का लाभ पहुंचाया जाकर कमीशन प्राप्त किया गया।

राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी राजेश अग्रवाल उक्त डमी फर्म्स के खातों का संचालन स्वयं करता है। उक्त डमी फर्मों के खातों में प्राप्त कमीशन की राशि को स्वयं के अथवा परिवारजनों के खातों में स्थानांतरित कर लेता था। अद्यतन जांच अनुसार आरुई राजेश अग्रवाल द्वारा परिवारजनों एवं अन्य डमी फर्म्स के माध्यम लगभग 86 करोड़ से अधिक के फेक इनवाइस प्राप्त किये एवं 15.54 करोड़ का मिथ्या आगत कर क्लेम किया। बाद में लगभग 92 करोड़ से अधिक के फेक इनवॉइस के माध्यम से कर राशि रूपये 16.65 करोड़ को पास ऑन/ यूटिलाइज भी किया गया।

महाराणा सांगा को अपमानित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग

नई दिल्ली/जयपुर। चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी.जोशी ने आज लोकसभा में शुन्यकाल के दौरान मेवाड़ ही नही बल्कि पूरे देश के अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय को सदन के समक्ष रखा, सांसद जोशी ने सदन को बताया की कोई तुष्टीकरण के चक्कर में छोटी मानसिकता लेकर महापराक्रमी योद्धाओं के लिए इस प्रकार की बातें करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कारवाई होनी चाहिए। वीर शिरोमणी महान योद्धा महाराणा सांगा के बारे कहे गये वक्तव्य के सन्दर्भ में सदन को ध्यान दिलाया की शायद उनके ध्यान में नहीं आया होगा कि दौलत खा के आमंत्रण पर बाबर भारत बताया था और इब्राहिम लोदी को दो-दो बार धूल चटाई थी और बाबर को भी युद्ध में हराया था।

बयान दर्ज कराने आए आईपीएस ने न्यायिक अधिकारी से अभद्रता की

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-6, महानगर प्रथम ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, आईपीसी एवं पशु कुरता अधिनियम से जुड़े मामले में गिरफ्तारी वारंट से गवाही के लिए हनुमानगढ़ एसपी अरशद अली को पीठासीन अधिकारी कल्पना पारीक से अभद्रता करने पर दो घंटे के लिए न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। हालांकि बाद में एसपी के खेद व्यक्त करने और तबीयत सही नहीं होने का हवाला देने पर कोर्ट ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी देकर उनके मुख्य बयान दर्ज किए। इस मामले में कोर्ट पिछले एक साल से एसपी को गिरफ्तारी वारंट से बुला रही थी, लेकिन वे मुख्य गवाही के लिए पेश ही नहीं हो रहे थे। जबकि कोर्ट ने इससे पहले 2019 से ही उनके जमानती वारंट जारी किए हुए थे। इन जमानती वारंट की तामील ही नहीं हो पा रही थी। इसके बाद ही कोर्ट ने एसपी को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था।

> ■ कोर्ट ने दो घंटे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

मामले के अनुसार एसपी अरशद अली गिरफ्तारी वारंट की पालना में कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने पीठासीन अधिकारी से गिरफ्तारी वारंट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वे वीसी के जरिए ही पेश हो जाते। इस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि यदि वे पहले इसके लिए प्रार्थना पत्र दायर करते तो उस पर निर्णय लिया जा सकता था। इस पर एसपी ने अपनी गलती नहीं मानी और पीठासीन अधिकारी से अभद्रता की। जिस पर कोर्ट ने चालानी गार्ड बुलाकर उन्हें दो घंटे के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इसके बाद एसपी वापस पेश हुए तो उन्होंने खेद व्यक्त किया और कहा कि उनकी तबीयत खराब है। जिस पर कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए उन्हें बैठने के लिए कुर्सी मुहैया कराई और बयान देने के लिए कहा। गौरतलब है कि एसपी अरशद अली दारा सिंह एनकाउंटर प्रकरण में ट्रायल के दौरान अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ कई सालों तक जेल में रहे हैं। अदालत ने बाद में सभी को दोषमुक्त कर दिया था।

दरअसल इस मामले में मौजूदा एसपी ने सालों पहले एसओजी में एएसपी के पद पर रहते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी और वे खुद ही परिवादी थे। इस मामले में सतीश, बद्री प्रसाद, रमाकांत, जुगल किशोर, शिवहरि, सुनील व मुन्ना आरोपी हैं।

सौग़ात-ए-मोदी अभियान में ईद पर 1 लाख 786 जरूरतमंदों तक पहुंचेगा अल्पसंख्यक मोर्चा : मेवाती

जयपुर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने बताया कि "सौगात-ए-मोदी " किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से किया जाएगा। इसमें जरूरतमंद मुस्लिम बहनों को राशन सामग्री का किट वितरित किया जाएगा। प्रदेश की सभी 200 विधानसभाओं में करीबन 1 लाख 786 जरूरतमंद बहनों को यह किट वितरित किए जाएंगे।

मेवाती ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका कल्याण की अवधारणा पर कार्य किया। इसके चलते ईद जैसे महापर्व पर मुस्लिम समुदाय की जरूरतमंद बहनों के लिए सौगात ए मोदी किट का वितरण करने की घोषणा से समुदाय में खुशी का माहौल है। अल्पसंख्यक मोर्चा और प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार और धन्यवाद।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी राजस्थान के विकास में सभी समाज, समुदाय और वर्गों को साथ में लेकर चल रहे है। भाजपा की नीति अंत्योदय की है और इस नीति पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्य कर रहे है। फिर चाहे अल्पसंख्यक वर्ग को आवास देने का मामला हो, उज्जवला योजना में रसोई गैस सिलेंडर देने का मामला हो, या फिर मेवात बोर्ड के लिए बजट में अलग से धनराशि जारी करने का मामला हो, मुस्लिम बहनों को तीन तलाक कानून बनाकर संबल प्रदान करने का मामला हो, भाजपा सरकार हर वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए कार्य योजनाओं का संचालन कर रही है।

> ■ 'मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से 28 मार्च से शुरू होगा अभियान'

प्रेसवार्ता में मंच पर मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान, प्रदेश उपाध्यक्ष जंग बहादुर पठान, पूर्व जयपुर शहर जिलाध्यक्ष जफर मिर्जा उपस्थित थे।

अपील के लंबित रहते नहीं रोके जा सकते पेंशन परिलाभ

जयपुर। हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले में बरी होने के बाद अपील के लंबित होने के आधार पर पूर्व कर्मचारी के पेंशन परिलाभ को नहीं रोका जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता के पन्द्रह साल पहले रोके गए पेंशन परिलाभ तीन माह में नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करने को कहा है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश कृष्ण कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र शाह ने बताया कि याचिकाकर्ता पूर्व में नगरीय विकास में प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पर तैनात था। साल 2007 में उसके खिलाफ एसीबी ने दो हजार रुपए की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया था। वहीं एसीबी की ओर से मामले में आरोप पत्र पेश करने के बाद एसीबी कोर्ट, जयपुर ने ट्रायल पूरी कर साल 2010 में याचिकाकर्ता को बरी कर दिया। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील पेश कर दी। दूसरी ओर साल 2010 में ही वह रिटायर हो गया। इस पर राज्य सरकार ने उसे दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति परिलाभ रोक लिए।

प्रकृति से विशेष प्रतिभा और ऊर्जा प्राप्त हैं विशेष योग्यजन बच्चे : दिया कुमारी

जयपुर। राजस्थान दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित हो रहें सप्ताहभर के कार्यक्रमों की श्रृंखला में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की उपस्थिति में जंतर मंतर पर प्रातः 9.15 बजे से विशेषयोग्य जन बच्चों के लिए गुरुवार को "देखो अपना शहर" जागरूकता यात्रा का आयोजन किया गया।

उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विशेष योग्यजन बच्चों से स्नेहपूर्वक बातचीत भी की। उनके इस आत्मीय संवाद से विशेषयोग्य जन बच्चे उत्साहित और प्रसन्न नजर आये। दिया कुमारी ने इस अवसर पर कहा कि विशेष योग्यजन बच्चों को प्रकृति की ओर से विशेष प्रतिभा और ऊर्जा प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे कई मायनो में सामान्य बच्चों से भी अधिक योग्य हैं। इनकी योग्यता, प्रतिभा और ऊर्जा का सदुपयोग राष्ट्र और प्रदेश के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने में राज्य सरकार ऐसे विशेष योग्यजन बच्चों की प्रतिभा का सदुपयोग करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सरकार उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पित है। दिया कुमारी ने विशेषयोग्य जन बच्चों को उपहार दिए जबकि बच्चों ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया। उपमुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजन बच्चों को सिटी पैलेस और अल्बर्ट हॉल सहित आमेर भ्रमण करवाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ जंतर मंतर पर आये विदेशी पर्यटकों ने फोटो खिचवाए।

राजस्थान दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित हो रहें सप्ताहभर के कार्यक्रमों की श्रृंखला में जंतर-मंतर पर विशेषयोग्य जन बच्चों के लिए गुरुवार को "देखो अपना शहर" जागरूकता यात्रा में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विशेषयोग्य जन बच्चों को उपहार दिए।

'भाजपा ने ओटीटी प्लेटफॉर्स के लिए तय की आचार संहिता'

जयपुर। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि भाजपा सरकार ने नए आईटी नियमों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील फोटो-वीडियो और हानिकारक सामग्री प्रचारित करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से इस तरह की आपत्ति जनक सामग्री, वीडियो या कंटेंट पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन करते हुए आईटी नियम 2021 जारी किया। इस अधिसूचना के माध्यम से ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए नई आचार संहिता का प्रावधान किया है। राठौड़ के सवाल के जवाब में सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री डॉ एल मुरूगन ने यह जानकारी सदन को दी। राठौड़ ने बताया कि नए आईटी नियम में अश्लील सामग्री के संबंध में सरकार मौजूदा सांविधिक ढांचे के तहत ऐसी सामग्री के खिलाफ कार्रवाई करती है। ओटीटी प्रकाशकों के लिए कानून बनाकर ऐसी सामग्री प्रसारित करने से रोक लगाई है जो निषिद्ध है। इसमें मंत्रालय की ओर से सामग्री की आयु आधारित 5 श्रेणियां बनाई है। इसमें सभी आयु वर्ग के लिए परिवार के साथ देखने लायक सामग्री के लिए वर्गीकरण किया गया है।